दलित - अल्पसंख्यक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

27 दिसम्बर, 2006
नई दिल्ली

मुझे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित होने और इसे सम्बोधित करने में अत्यंत खुशी हो रही है। मैं अपने साथी श्री राम विलासजी को "शक्तिहीनों को शक्ति" विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की पहल के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी को अपनी बधाई और शुभकामना देता हूं।

इस विषय में शामिल समस्याओं के अध्ययन के लिए जरूरी है कि देश में दलितों की समस्याओं और सभी समाजों में "अल्पसंख्यकों" की समस्याओं में क्या अंतर है, यह समझा जाए। दलितों की हमारे समाज में एक विशिष्ट समस्या रही है और यह समस्या आम तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं से बुनियादी रूप से अलग है। देश में छुआछूत की प्रथा की तुलना केवल दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति से ही की जा सकती है। छुआछूत केवल सामाजिक भेदभाव ही नहीं है। यह मानवता पर एक दाग है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने घोषित किया था कि "छुआछूत के खिलाफ मेरा संघर्ष मानवता में अपवित्रता के खिलाफ संघर्ष है।"

इसी वजह से समाज सुधारकों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और हमारे संविधान निर्माताओं ने दलितों के खिलाफ भेदभाव से निपटने के लिए एक विशेष नजरिया अपनाया था। उन्होंने छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया और कई तरीकों से दलितों को अधिकार सम्पन्न बनाया। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान देशभक्तों द्वारा लिखा संविधान बुनियादी मानव अधिकारों की एक अद्वितीय पुष्टि है। इसमें संवैधानिक जरियों से सामाजिक अधिकारिता की गारंटी है। मेरा मानना है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति का भारत का अद्वितीय अनुभव संक्रमणशील सभी समाजों, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं और भेदभाव द्वारा विभाजित सभी राष्ट्रों के लिए एक सीख है।

मेरा मानना है कि 60 वर्षों के संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण और राज्य सहायता के बावजूद देश के कई हिस्सों में दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव अभी भी मौजूद है। ऐसे भेदभाव के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक संघर्ष जारी रहना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों की समानता के लिए दिल से और गहराई से दृढ प्रतिज्ञ है। हमारी सरकार दलितों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदम उठाएगी। यह हमारी कटिबद्धता है।

दरअसल, हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दोनों को सशक्त बनाने के लिए पिछले दो सालों में सकारात्मक कार्यों और आरक्षण के प्रति हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को मजबूत बनाकर कई कदम उठाए हैं। इन सबसे ऊपर, हमने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। जैसा कि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का जीवन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता के इस एक असभ्य पहलू को समाप्त करने का शिक्षा एक शक्तिशाली जरिया है।

आपका यह सम्मेलन अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए, यह सिद्धांत एक विचार है जो हमारे राजनैतिक व्याख्यानों और संवैधानिक प्रावधानों में निहित है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन में यह स्वीकार करना उचित ही होगा कि एक देश या क्षेत्र में अल्पसंख्यक कहीं अन्यत्र बहुसंख्यक हो सकते हैं। यह सही है कि, प्रत्येक सामाजिक और धार्मिक समूह कहीं बहुसंख्यक तो कहीं अल्पसंख्यक होने का दावा कर सकता है। इसलिए, अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट समस्याओं से निपटने में आधुनिक, लोकतांत्रिक समाजों द्वारा अपनाये जाने वाले सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सिद्धांत आदर्श रूप से कुछ निश्चित सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए।

ये सार्वभौमिक सिद्धांत कौन से हैं, मेरी राय में ये सिद्धांत कानून के समक्ष समानता के विचार द्वारा परिभाषित हैं, कानून के शासन को समान रूप से लागू करने पर आधारित हैं, बुनियादी मूलभूत मानव अधिकारों के प्रति कठिबद्धता पर आधारित हैं और अल्पसंख्यक समुदायों के मूल्यों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के उनके अधिकारों पर आधारित हैं।

भारत में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों ने अन्य समुदायों की तुलना में अच्छी प्रगति की है। उदाहरण के लिए, भारत में जैन और सिख समुदाय ने सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया से तुलनात्मक रूप में अच्छी प्रगति की है। लेकिन अन्य अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर देश के कुछ हिस्सों के मुस्लिम समुदाय को विकास के प्रतिफल में बराबर का हिस्सा नहीं मिला है। भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर अध्ययन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है। यह उच्चस्तरीय समिति सच्चर समिति के नाम से भी जानी जाती है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई किसी भी सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे असंतुलनों से निपटे और ऐसी असमानताओं को दूर करे। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरी सरकार इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है।

यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि विकास की प्रक्रिया न केवल समान हो बल्कि यह ऐसी होती दिखाई भी पड़ती हो। विकास से गरीबी में कमी तो लाई जा सकती है लेकिन असमानताएं बढ स़कती हैं, और ये असमानताएं सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे विकास की प्रक्रिया को कोई नुकसान पहुंचाए बिना तथा व्यक्तिगत उद्यम और सृजनशीलता के लिए प्रोत्साहन को कम किए बिना सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को कम किया जा सके।

कमजोर वर्गों की क्षमताओं के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम सामाजिक भेदभाव और विषमताओं के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई के अंतिम उपाय या संपूर्ण उपाय नहीं हैं। हमें लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। इसके लिए हमारे समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों और अन्याय के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आंदोलन की जरूरत है। सामाजिक समानता की लड़ाई देश के लोगों के दिमागों में लड़ी और जीती जानी चाहिए।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि खुले समाज में भी कांच की खिड़कियां और कांच की छत होती हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया में पहला कदम इन समस्याओं के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। दूसरे कदम के तौर पर सभी को स्वीकार्य ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जिन्हें इस नजरिए न देखा जाए कि इनसे कोई समाधान नहीं

निकलेगा बल्कि ये नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए फायदेमंद हों और जिनके जरिए सभी की स्थिति में सुधार हो और किसी की भी स्थिति खराब न हो।

श्री वी पी सिंह ने कई मुद्दों का जिक्र किया। मैं उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव पर यहां विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। यह सच है कि हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के फायदों में समान रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली है। इसलिए हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण में इस बुनियादी असमानता से निपटने के व्यवहारिक रास्ते और तौर तरीके तलाशने होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों की मदद से इस दिशा में कार्य करूंगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की कई समस्याएं हैं। कुछ कार्यों के लिए जमीन प्राप्त करने में समस्या आती है। विस्थापित लोगों की समस्याएं हैं, उनके जीवन यापन की समस्या है, और जिन्हें रोजगार की तलाश में मजबूरन शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, उनकी समस्याएं हैं। बड़े-बड़े शहरों में आवासों की बढती़ समस्या है। ये सभी वास्तविक समस्याएं हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन सभी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे सम्मेलनों में केवल समस्याओं का राग अलापने की बजाय इन समस्याओं का हल तलाशने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप सबको भी सफलता की उन गाथाओं पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों को रास्ता दिखाती हैं और उनमें आशा की किरण जगाती हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन हमें आशा और उत्साह दोनों ही प्रदान करता है। उनका जीवन प्रत्येक दलित को आशा और उत्साह देता है। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय को यह आशा दिलाता है कि न्यायपूर्ण समाज मात्र एक झूठा सपना नहीं। प्रत्येक आधुनिक लोकतांत्रिक समाज को इससे आशान्वित होना चाहिए।

आज हजारों ऐसे युवा पुरूष और नारियां हैं जिनका जीवन बाबा साहेब के जीवन की प्रतिछाया है। मेरे युवा दोस्त, भारतीय रिजर्व बैंक के डा0 नरेन्द्र जाधव ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। मैं आपको उनकी पुस्तक "आउटकास्ट" पढने़ का निमंत्रण देता हूं। मैं इस पुस्तक को पढक़र काफी प्रभावित हुआ था। यह पुस्तक सशक्तिकरण और मुक्ति की दिल छू लेने वाली गाथा है। सशक्तिकरण के ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें विश्वास मिलता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता की समस्याओं से प्रभावपूर्ण ढंग निपटा जा सकता है और निपटा भी जाएगा। मुझे आशा है कि आपका यह सम्मेलन हमारे लोगों में इस आशावादी संदेश को प्रसारित करेगा। में आपके इस सम्मेलन की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

******